तारीख हुक्म	हुक्म मय कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **प्रकरण संख्या :– 75/2021 पुराना** **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए** **सुनिल कुमार बनाम राजस्थान सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.03.2022	प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रिव्यू स्वीकार होने पर पत्रावली सीगेदार से तलब कर पेशी में ली गई। प्रार्थी की ओर से श्रवण कुमार सैनी राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी सुनिल कुमार के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही हो जाने के फलस्वरूप प्रकरण में एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली आदेश में ली जाकर न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.09.2021 व मौका रिपोर्ट तहसीलदार दिनांक 31.08.2021 व प्रार्थी तहसीलदार झुन्झुनूं के द्वारा प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का ध्यान पूर्वक अवलोकन करते हुये बहस वकील प्रार्थी पर बगौर मनन किया गया। तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 31.08.2021 में प्रार्थी के उक्त खसरा नम्बर में आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं होना व चाहा गया रास्ता लघुत्तम वर्तमान में उक्त रास्ता प्रचलित है तथा रास्ते में आवागमन चालु बताते हुये पेश की गई थी। प्रार्थना पत्र प्रार्थी रिव्यू में ग्राम भूरासर बास ख.नं. 287 किस्म गै.मु. जोहड़ दर्ज होना व एक हिस्से में मिट्टी कटाई की हुई है जिसमें बरसात के दिनों में जल भराव होता है एवं पुख्ता कुण्ड भी बना होना, जो कि जलभराव हेतु बनाया जाना तथा ग्रामवासियों ने भी रोष होना बताते हुये प्रार्थना पत्र पेश किया है। उक्त रिपोर्ट से प्रकरण में नये तथ्य सामने आये कि उक्त भूमि गै.मु. जोहड़ जलभराव भूमि होने पर प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में आती है ऐसी स्थिति में न्यायालय की राय में न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.09.2021 को अपास्त किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः इस न्यायालय का आदेश दिनांक 06.09.2021 को अपास्त किया जाता है। यदि प्रार्थी द्वारा राजकोष में रास्ते हेतु राशि जमा करवायी गयी है तो जमा राशि रिफंड की जाये। तहसीलदार झुन्झुंनूं को आदेश प्रति सूचनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली पुनः दर्ज रजिस्टर होकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। 28.03.2022	